



Prakash Industries Limited

(MINING DIVISION)

ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007
A/9 Shatabdi Nagar, Behind Songanga Colony,
Seepat Road, Bilaspur 495006 (C.G.)
Tele. : 98930 – 51093 Fax : 07752 – 258480/612
Email : md_bsp@prakash.com

CIN - L27109HR1980PLC010724

क्र./पी.आई.एल./बिलासपुर/व.भू.प्र.प्र./पंजीयन/2021-22/333

दिनांक 24.02.2022

प्रति,

श्रीमान् अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू-प्रबंध/व.सं.अ)
अरण्य भवन, सेक्टर-19,
अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

विषय- भारत सरकार, कोयला मंत्रालय द्वारा आबंटित भास्करपारा कोयला खदान अन्तर्गत आने वाली 515.581 हे. वन भूमि के वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत प्रत्यावर्तन प्रस्ताव के पंजीयन बावत्।

संदर्भ- 1. भारत सरकार, कोयला मंत्रालय द्वारा जारी निहित आदेश (Vesting Order) क्रमांक NA-104/5/2021-NA दिनांक 18.11.2021.

2. श्रीमान् अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू-प्रबंध/व.सं.अ.) का पत्र क्रमांक नस्ती क्र./भू-प्रबंध/खनिज/331-306 रायपुर दिनांक 02/11/2021.

Proposal no.FP/CG/MIN/149564/2021

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से संस्थान की भास्करपारा कोयला खदान परियोजना हेतु समावेशित 515.581 हेक्टेयर वन भूमि के वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत प्रत्यावर्तन प्रस्ताव पंजीयन हेतु चाही गई जानकारी बिंदुवार उपरोक्त वर्णित प्रपोजल नंबर में ऑनलाईन अपलोड कर दी गई है तथा अपलोड की गई जानकारी का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है -

स. क्र.	बिन्दुवार जानकारी का विवरण	अनुपालन
1	बिन्दु क्रमांक A-2. Details of user agency- Ashok Kumar Chaturvedi लेख किया गया है। संस्थान का नाम देवें। उक्त जानकारी को सही कर अपलोड करें।	संस्थान का नाम सही कर अपलोड कर दिया गया है। (Annexure- 1)
2	बिन्दु क्रमांक A-3. Copy of documents in support of the competence/authority of the person making this application on behalf of the User Agency कलर ओरिजनल प्रति अपलोड करें।	दस्तावेज की कलर ओरिजनल प्रति अपलोड कर दी गई है।

क्रमशः...2..

स. क्र.	बिन्दुवार जानकारी का विवरण	अनुपालन
3	बिन्दु क्रमांक B-1 पूर्व में प्रस्तुत परियोजना के लिए वन भूमि के डायवर्सन के लिए अधिनियम के तहत केन्द्र सरकार की पूर्व स्वीकृति के लिए प्रस्ताव का विवरण निरंक लेख किया गया है । वचन पत्र अतिरिक्त जानकारी में अपलोड करें।	वचन पत्र अतिरिक्त जानकारी में अपलोड कर दिया गया है। (Annexure- 2)
4	बिन्दु क्रमांक B-2.4 Component wise breakup में Component wise विवरण अपलोड करें।	Component wise विवरण अपलोड कर दिया गया है।
5	के.एम.एल. फाईल अपलोड नहीं किया गया है। C.(ii) b (1): Upload .kml के attribute में विवरण (जैसे RF/PF along with Compartment no. and area in ha./ Revenue Forest Land along with Khasra no. and area ha. आदि) जानकारी के साथ अपलोड करें।	Upload kml के attribute में विवरण जानकारी के साथ अपलोड कर दिया गया है।
6	C.(iii): टोपोग्राफी (Resolution 1:50000) में इन्डेक्स में आर.एफ./पी.एफ./राजस्व वन क्षेत्र/राजस्व गैर वन क्षेत्र/निजी क्षेत्र कितना प्रभावित हो रहा दर्शाते हुए मय आवेदक संस्थान द्वारा अधिकृत किए गए अधिकारी के हस्ताक्षर सहित अपलोड करें। टोपोग्राफी अस्पष्ट है, सही Resolution के साथ टोपोग्राफी अपलोड करें।	संस्थान के अधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरीत टोपोग्राफी सही Resolution के साथ अपलोड कर दिया गया है।
7	C.(iv): Geo-referenced map (Resolution 1:50000) में इन्डेक्स में आर.एफ./पी.एफ./राजस्व वन क्षेत्र/राजस्व गैर वन क्षेत्र/निजी क्षेत्र कितना प्रभावित हो रहा दर्शाते हुए मय आवेदक संस्थान द्वारा अधिकृत किए गए अधिकारी के हस्ताक्षर सहित अपलोड करें। टोपोग्राफी अस्पष्ट है, सही Resolution के साथ Geo-referenced map अपलोड करें।	संस्थान के अधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरीत Geo-referenced map सही Resolution के साथ अपलोड कर दिया गया है।
8	बिन्दु क्रमांक G- Details of Cost –Benefit analysis for the Project-उपरोक्त स्थान पर वचन पत्र अपलोड किया गया है जिसे अतिरिक्त जानकारी में अपलोड करें।	वचन पत्र अतिरिक्त जानकारी में अपलोड कर दिया गया है। (Annexure- 3)
9	L Details of land identified for Compensatory Afforestation (i,ii,iii) में	वचन पत्र संलग्न है। (Annexure- 4)
(b)	Degraded forest area on which CA has to be raised by forest department (in ha.): 322.416	
(c)	Area of non-forest or Revenue forest land required to be provided by User Agency for raising Compensatory Afforestation (in ha.) : NIL	
-	आवेदित क्षेत्र 515.581ha., क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र—515.581ha. बिन्दु क्रमांक L-ii.(C). अनुरूप होना चाहिए।	
-	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र—322.416ha., बिन्दु क्रमांक L-ii.(b) किस आधार पर चयन किया गया स्पष्ट करें। अपलोड के.एम.एल. फाईल ओपन नहीं हो रहा है।	
-	बिन्दु क्रमांक L. (iii) No. of districts involved for raising Compensatory Afforestation: 6.	

स. क्र.	बिन्दुवार जानकारी का विवरण	अनुपालन
-	बिन्दु क्रमांक L. (iv No. of patches : Twelve उपरोक्त अनुसार के. एम.एल. फाईल अपलोड नहीं है। एवं	वचन पत्र संलग्न है। (Annexure- 4)
-	बिन्दु क्रमांक L. (iv) (f). Copy of Ownership proof: में मिनिस्ट्री आफ कोल का वेस्टींग आर्डर अपलोड किया गया है। जो सही नहीं है।	
-	बिन्दु क्रमांक L. (V AND VI) में अपलोड जानकारी में प्रस्तावित क्षेत्र का टोपोशीट नक्शा अपलोड किया गया है। सुधार करें।	
10	M-2 Details of Mining Plan बिन्दु में वचन पत्र अपलोड किया गया है । बिन्दु क्रमांक M-2(iii) Copy of approval of mining plan: मिनिस्ट्री आफ कोल को प्रस्तुत किया गया माईनिंग प्लान अधिकृत किए गए अधिकारी से सत्यापित कर अपलोड करें। वचन पत्र अतिरिक्त जानकारी में अपलोड करें एवं रिमार्क में इंगित करें।	माईन प्लान अनुमोदन पत्र की प्रति अपलोड कर दी गई है।
11	M-2 Details of Mining Plan बिन्दु में वचन पत्र अपलोड किया गया है । बिन्दु क्रमांक M-2(iv) Copy of approved mining plan: मिनिस्ट्री आफ कोल को प्रस्तुत किया गया माईनिंग प्लान अधिकृत किए गए अधिकारी से सत्यापित कर अपलोड करें। वचन पत्र अतिरिक्त जानकारी में अपलोड करें एवं रिमार्क में इंगित करें।	अनुमोदित माईन प्लान अपलोड कर दी गई है।
12	M-2(vi) टोपाशीट (Resolution 1:50000) में इन्डेक्स में आर.एफ. /पी.एफ./राजस्व वन क्षेत्र/राजस्व गैर वन क्षेत्र/निजी क्षेत्र कितना प्रभावित हो रहा दर्शाते हुए मय आवेदक संस्थान द्वारा अधिकृत किए गए अधिकारी के हस्ताक्षर सहित अपलोड करें।	संस्थान के अधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित टोपोशीट सही Resolution के साथ अपलोड कर दिया गया है। (Annexure-12)
13	M-2(vii) Upload. .kml के attribute में विवरण (जैसे RF/PF along with Compartment no. and area in ha./ Revenue Forest Land along with Khasra no. and area ha. आदि) जानकारी के साथ अपलोड करें।	Upload kml के attribute में विवरण जानकारी के साथ अपलोड कर दिया गया है।
14	M-2.1 Details of safety zone of mining lease (to be provided in case of opencast and opencast plus underground mines) निरंक देने का कारण स्पष्ट करें।	सेफ्टी जोन का विवरण अपलोड कर दिया गया है।
15	अतिरिक्त जानकारी में	
1	छ.ग. क्रमांक/एफ-5-20/2007/10-2(पार्ट) दिनांक 13. 10.2021 निर्देशानुसार सत्यापित डी.जी.पी.एस. रिपोर्ट अपलोड करें एवं डी.जी.पी.एस. सर्वेक्षण कार्यालयीन पत्र क्रमांक/भू-प्रबंध/विविध/115-30/146 दिनांक 23.01.2020 अनुबंधित पेनल संस्थान द्वारा किया होना चाहिए।	डी.जी.पी.एस. रिपोर्ट की सत्यापित प्रति अतिरिक्त जानकारी में अपलोड कर दिया गया है। (Annexure- 5 & 5a)

..4..

स. क्र.	बिन्दुवार जानकारी का विवरण	अनुपालन
2	वन क्षेत्र का विवरण सत्यापित प्रति अपलोड करें।	वन क्षेत्र का विवरण की सत्यापित प्रति अतिरिक्त जानकारी में अपलोड कर दिया गया है।(Annexure- 6 & 6a)
3	राजस्व वन क्षेत्र है तो पंजीयन हेतु कलेक्टर का अनापत्ति अतिरिक्त जानकारी के रूप में अपलोड करें।	वचन पत्र अतिरिक्त जानकारी में अपलोड कर दिया गया है।(Annexure- 7)
4	पंजीयन एवं प्रसंस्करण शुल्क हेतु छ.ग. शासन के संलग्न पत्र क्रमांक/ एफ.-7/22/2009/10-2 रायपुर दिनांक 30.06.2012 अनुसार वनमंडलाधिकारी, सूरजपुर वनमंडल के नाम से डी.डी. बनवाकर अपलोड करें।	डी. डी. का स्केन प्रति अतिरिक्त जानकारी में अपलोड कर दिया गया है। (Annexure- 8)
5	माईनिंग से संबंधित भारत सरकार तथा छ.ग. शासन से जो Lol तथा संबंधित पत्र जारी किये गये है, उसकी सत्यापित प्रति अपलोड करें।	भारत सरकार, कोयला मंत्रालय के आदेश की प्रति अपलोड कर दिया गया है।(Annexure- 9)
6	सत्यापित लैडयूज प्लान अपलोड करें।	सत्यापित लैडयूज प्लान को अतिरिक्त जानकारी में अपलोड कर दिया गया है।(Annexure- 10)
7	आवेदित क्षेत्र में प्रोसपेक्टिंग कार्य की अद्यतन स्थिति के पालन में वनमंडलाधिकारी सूरजपुर की टीप अपलोड करें।	आवेदित क्षेत्र में प्रोसपेक्टिंग कार्य की अद्यतन स्थिति एवं प्रस्तावित लेमरु कंजर्वेशन रिजर्व की सीमा से दूरी का प्रतिवेदन अतिरिक्त जानकारी में अपलोड कर दिया गया है।
8	वनमंडलाधिकारी सूरजपुर से यह प्रतिवेदन प्राप्त कर अतिरिक्त जानकारी में अपलोड किया जावे कि जिन क्षेत्रों में कार्य किया जाना है वह प्रस्तावित लेमरु कंजर्वेशन रिजर्व की सीमा से कितनी दूरी पर है।	(Annexure- 11 & 11a)

अतः महोदय से निवेदन है कि प्रकरण में पंजीयन क्रमांक प्रदान करते हुये प्रकरण को वनमण्डलाधिकारी, सूरजपुर वनमण्डल की ओर अग्रेषित करने का कष्ट करें जिससे यथाशीघ्र अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

सादर....

कृते प्रकाश इण्डस्ट्रीज लिमिटेड



(ए.के.चतुर्वेदी)

निदेशक (कम्पनी मामलें)